## ।।महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः-वि0प0पत्र/2018/11937-12087 दिनांकः-19/05/202

## परिपत्र

## विभागीय परिचय पत्र बनवाये जाने संबंधी निर्देश

कारागार विभाग में पदस्थापित समस्त कार्मिकों का परिचय-पत्र केन्द्रीयकृत प्रणाली के रूप में कारागार मुख्यालय की कम्प्यूटर शाखा द्वारा जारी किया जाता है। इस विषय में इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक कर्म.कल्याण/विविध/5/परिचय-पत्र/17901-18020 दिनांक 31.07.2017 के अतिक्रमण में विभागीय परिचय पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रभावी होंगेः-

1. कार्मिकों के परिचय-पत्र विभाग में प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति अथवा पूर्व में जारीशुदा परिचय-पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त होने पर निःशुल्क बनाकर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्मिकों को उपलब्ध करवाये जायेंगे।
2. राजस्थान जेल सेवा एवं जेल अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक वर्ग सेवा हेतु परिचय-पत्र की वैधता अवधि जारी करने की दिनांक से 05 वर्ष या सेवानिवृति अथवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर विभाग छोड़ने तक, जो भी पहले हो, होगी।
3. अन्य सेवाओं (यथा-सांख्यिकी, चिकित्सा, पुलिस, लेखा आदि) के अधिकारियों/कार्मिकों के लिए यह अवधि जारी करने की दिनांक से 02 वर्ष अथवा अन्यत्र स्थानान्तरण/सेवानिवृति, जो पहले होगा, तक के लिए, होगी।
4. परिचय-पत्र गुम होने, कट-फट जाने या किसी अन्य कारण से अनुपयुक्त हो जाने पर डुप्लीकेट परिचय-पत्र हेतु लिखित प्रार्थना-पत्र मय कार्यालयाध्यक्ष की अनुशंसा प्रस्तुत करने तथा रूपये 100/-(एक सौ रूपये मात्र) डुप्लीकेट परिचय-पत्र शुल्क (कर्मचारी कल्याण कोष में जी.ए.55 चालान के माध्यम से) जमा कराने पर जारी किया जायेगा।
5. परिचय-पत्र गुम हो जाने की स्थिति में पुलिस थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवानी अनिवार्य होगी, जिसकी छायाप्रति डुप्लीकेट परिचय-पत्र आवेदन फार्म के साथ नत्थी करनी अनिवार्य होगी।
6. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने, अन्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के कारागार विभाग में ही सेवानिवृत होने अथवा अन्यत्र स्थानान्तरित होने पर विभाग द्वारा जारी परिचय-पत्र जमा कराने पर ही गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
7. परिचय-पत्र में सम्मिलित किये जाने वाला विवरण, आवेदन कर्त्ता द्वारा संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र में अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में साफ लेखनी में अंकित कर, कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित किया

जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष आवेदन कर्त्ता के सेवा विवरण के आधार पर आवेदन की प्रविष्टियों को सत्यापित कर आवेदन पत्र को अग्रेषित करेंगे।

8. महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी विभागीय परिचय-पत्र को प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा कार्यालय में विभागीय **परिचय-पत्र रजिस्टर** में अंकन कर संबधित कार्मिक के हस्ताक्षर प्राप्त कर परिचय पत्र दिया जावेगा।

9. परिचय-पत्र के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग का मामला पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

**संलग्नः**-आवेदन का प्रारूप (फॉर्म)

*इस परिपत्र की प्राप्ति रसीद अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करें।*

(राजीव दासोत)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को पालनार्थ प्रेषित हैः-

1. महानिरीक्षक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
4. उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
5. उप निदेशक, उद्योग, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/विशिष्ठ केन्द्रीय/जिला कारागृह/ उप कारागृह, राजस्थान।
7. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
8. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
9. उपाधीक्षक/प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर।
10. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण।
11. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
12. अति. निजी सचिव, अति0 महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
15. प्रभारी कम्प्यूटर लैब, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
16. रक्षक पत्रावली।

13/5/2021

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर